

परियोजना का नाम :- जनपद टिहरी गढ़वाल में राज्य योजना के अन्तर्गत कैथोली से नैखरी तक मोटर मार्ग नव निर्माण कार्य।

स्वीकृति का सन्दर्भ :- जनपद टिहरी गढ़वाल में राज्य योजना के अन्तर्गत कैथोली से नैखरी तक मोटर मार्ग की स्वीकृति शासनादेश संख्या 59/।।। (2)/06-06 (प्रा0आ0)/2005, दिनांक 02.09.2006 द्वारा 5.00 कि.मी. लम्बाई हेतु ₹. 81.00 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुयी है।

मार्ग की लम्बाई :- 2.45 कि.मी.।

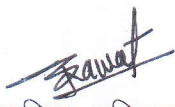
वन भूमि की स्थिति :- इस मोटर मार्ग के संरेखण के अनुसार मार्ग निर्माण में आ रही भूमि का विवरण निम्न प्रकार है :-

(1)	आरक्षित वन भूमि	:-	1.050 हैक्टेयर
(2)	सिविल बंजर भूमि	:-	0.420 हैक्टेयर
(3)	नाप भूमि	:-	0.245 हैक्टेयर
	कुल भूमि	:-	1.715 हैक्टेयर

कैथोली से नैखरी तक एक जीपेवल मार्ग पूर्व में ही बना है जिसकी वर्तमान में औसत चौड़ाई 3.50 से 4.00 मीटर तक निर्मित है। इस मार्ग निर्माण हेतु 1.47 हैक्टेयर भूमि हस्तान्तरण की आवश्यकता है। उक्त मोटर मार्ग के निर्माण से क्षेत्रवासी यातायात से जुड़कर लाभान्वित हो जायेंगे और क्षेत्रवासियों को नैखरी स्थित महाविद्यालय में जाने हेतु कम दूरी साथ ही देवप्रयाग तथा जाखणीधार क्षेत्रवासियों को जिला मुख्यालय आने में अपेक्षाकृत कम दूरी तय करनी पड़ेगी, इसके अलावा चन्द्रवदनी प्रसिद्ध मन्दिर तक आने जाने के लिए भी कम दूरी का मार्ग बनेगा।

स्वीकृत समरेखण पर प्रभावित होने वाले कुल वृक्षों की संख्या 54 तथा वास्तविक रूप से पातन किये जाने वाले वृक्षों की सं० 49 रह गयी है। जो कि न्यूनतम है व इसके अतिरिक्त उक्त मार्ग हेतु अन्य उपयुक्त समरेखण नहीं बनाया जा सकता है।

अतः उक्त स्वीकृत समरेखण ही प्रस्तावित मार्ग हेतु औचित्य पूर्ण है।


कनिष्ठ अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो.नि.वि.,
नई टिहरी।


सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो.नि.वि.
नई टिहरी।


अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो.नि.वि.
नई टिहरी।